| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | 11/8/2020<br>बलराम / गणपत | |
| 25/1/21 | पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील अपीलार्थी श्री हलाल सिंह ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर अपील को वापस लिये जाने व आगे नही चलाने के कारण अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया। वकील रेस्पोंडेन्ट ने अपनी सहमति प्रदान की। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अत: वकील अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपीलार्थी द्वारा अपील वापस लिये जाने व आगे नही चलाने से अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसलशुदा होकर बाद पूर्ति नम्बर से नाम होकर लेख भण्डार हो। आदेश सुनाया गया।<br><br>अतिरिक्त संभागीय आयुक्त<br>जयपुर | बलराम चौधरी<br>25/01/2021<br>Harbal...<br>25/1/21<br>गणपत...<br>Identified<br>...<br>25/1/2021 |

दो रुपये TWO RUPEES

2020/00414

Ready
Presented by
Ad Harlal Singh
Office to Refer
27/10/2020

समक्ष न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त

जयपुर सम्भाग जयपुर

अपील एल0आर0 एक्ट 118/2020

बलराम लोछिब दत्तक पुत्र स्व0भूरा,जाति जाट, निवासी सरगोठ, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राज0)

– अपीलान्ट

बनाम

1– गणपत पुत्र सुन्दरी पुत्र पूराराम,पुत्र नानू, जाति जाट निवासी ग्राम हिंगोनिया, तहसील आमेर जिला जयपुर (राज0) हाल निवासी ग्राम सरगोठ, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

2– तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

– रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम
विरूद्ध निर्णय तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर
दिनांक 07–10–2020 प्रकरण संख्या 48/2020
उनवानी गणपत बनाम बलराम लोछिब के विरूद्ध

---

मान्यवर,

अपीलान्ट निम्न निवेदक है :–

(1) यहकि रेस्पोडेन्ट सं0–1 गणपत ने दिनांक 01–06–2020 को जिला कलेक्टर सीकर के समक्ष एक प्रार्थनापत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि भूमि खसरा नं0 2316, 2322, 2323, 2324, 2325 कुल रकबा 13.53 हैक्टयर तन ग्राम सरगोठ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर(राज0)के हिस्सा 1/4 भाग की खातेदारी भूरा पुत्र महादेव के नाम चली आ रही है उक्त भूरा की मृत्यु हो चुकी है, उक्त भूरा पुत्र महादेव ने अपने जीवनकाल में मुझ प्रार्थी के पक्ष मे वसीयत निष्पादित करते हुए उक्त भूमि का अपनी मृत्यु के बाद बतौर मालिक स्वामी प्राप्त करने के अधिकार प्रदान किये है। अतः वसीयत

बलराम लोछिब